न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2388/2023

(सी0एन0आर0 संख्या–यूपीबीआर 01–006325/2023)

1. **जफर उर्फ रमन कालिया** पुत्र नजीर अहमद
   निवासी परतापुर जीवन सहाय थाना इज्जतनगर जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–54/2023
धारा–3/5/8 गौबध निवारण अधिनियम
थाना–बिथरीचैनपुर जनपद–बरेली।

18.05.2023

थाना बिथरीचैनपुर जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 54/2023 धारा–3/5/8 गौबध निवारण अधिनियम में अभियुक्त/आवेदक **जफर उर्फ रमन कालिया** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मैने अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों तथा केस डायरी का परिशीलन किया। अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है तथा उसका कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निरस्त किया गया है।

प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांकः11.02.2022 को सुबह 8.00 बजे सूचना मिली कि ग्राम चन्दपुर बिचपुरी नकटिया नदी के किनारे दो गौवंशीय पशु को कसाई द्वारा काटा गया, उनके अवशेष नदी के किनारे पड़े होने की सूचना मिली। सूचना उपरान्त राजेन्द्र कनौजिया अपनेसाथिं के साथ मौके पर पहुॅच गये नदी के किनारे दो सर व फेफड़े आदि अंग अवशेष अलग–अलग स्थानों पर पड़े मिले उपरोक्त घटना को कम सेकम 8 लोगो द्वारा घटना का अन्जाम दियागया।

अभियोजन केस के अनुसार अभियुक्त/आवेदक दिनांकः 01.03.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्व हैं।

अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदक पर लगाया गया आरोप असत्य व निराधार है, उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक दिनॉक 28.2.23 को शाम के समय आटो चलाकर घर वापस आया गॉव मे प्रधानी के कारण रंजिश चलती है पुलिस पूछताॅछ के लिये थाने ले गयी उन लोगो ने पुलिस से मिलकर गौकसी के आरोप मे झूठा बंद कर दिया प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त को

मौके से गिरफतार नही किया गया आवेदक के कब्जे से कोई वस्तु वरामद नहीं हुई है। कथित वरामदगी फर्जी दिखायी गयी है। आवेदक दिनांकः 01.04.2023 से कारागार में निरूद्व है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

मामला मजि0 न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त/आवेदक दिनांक01.03.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्व हैं।

अतएव् प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये मैं आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाता हूॅ। तद्नुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक **जफर उर्फ रमन कालिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अधिकथित अभियुक्त/आवेदक को उपरोक्त अपराध में, प्रत्येक द्वारा रु0 पचास हजार (50,000)– के व्यक्तिगत बन्धपत्र के साथ सम्बधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समाधान में समान धनराशि की दो प्रतिभूतियॉ निष्पादित करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

दिनांकः 18.05.2023

प्रभारी–सत्र न्यायाधीश,
बरेली।